न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 2/15 दायरा दिनांक 11.06.2015

पीठासीन अधिकारी :– श्री हनुमान सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनवान

तंवर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां – प्रार्थी

बनाम

1. छोटेलाल पुत्र कल्याण जाति कुम्हार निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 वास्ते निरस्त करने भू–आवंटन आदेश दिनांक 20.06.181 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 331/8 रकबा 5 बीघा बांके ग्राम कांकडदा

निर्णय दिनांक 01.01.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई। वांके माल ग्राम कांकडदा तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नं 331/8 रकबा 5 बीघा भू–आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 20.06.1981 को अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन की गई है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध एवं आवंटन प्रक्रिया के विरूद्ध काबिल खारजा है। आवंटन कमेटी ने भू – आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नहीं की है ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन किया गया आवंटन प्रकिया के अभाव में गलत एवं अवेध होने से निरस्तनीय है। आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि पर आवंटी/अप्रार्थी क्रम 1 ने कभी भी काश्त नहीं किया है। उक्त आवंटित भूमि को आवंटन पूर्व से प्रार्थी व उनके पूर्वज गत 50 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर बिना किसी रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थी के पिता भंवरसिंह का कब्जा था तथा उसके पिता का निरन्तर आज तक उक्त आराजी पर चला आ रहा है। आवंटी/अप्रार्थी क्रम 1 ने पटवारी हल्का से मिली भगत करके उक्त भूमि अपने नाम आवंटन करवायी है। जबकि आवंटन के समय उक्त भूमि खाली नहीं थी। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था तो आज तक निरन्तर है। बाद आवंटन अप्रार्थी क्रम 1 ने आवंटित भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है और न ही आवंटित भूमि पर दखल लिया। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की। इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 को किया आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। उक्त आवंटन शुदा भूमि प्रार्थी के परिवार की आजीविका का साधन है यदि उसे उक्त आराजी से बेदखल कर दिया तो उसका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आवेगा।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षिय बहस सुनी उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित तत्थों को ही दोहराते हुये बताया कि अप्रार्थी के पिता को ग्राम कांकडदा तहसील किशनगंज हाल पटवार हल्का कांकडदा ख.नं. 331/8 रकबा 05 बीघा भूमि दिनांक 20.06.1981 को अप्रार्थी छोटेलाल को आवंटन की गई थी। जबकि आवंटन से पूर्व से ही उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता भंवरसिंह का कब्जा था जो कि

आजतक निरन्तर चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता का कब्जा सम्वत 2028 से 2030 तक व सम्वत 2034 से 2037 तक की खसरा गिरवदारी में दर्ज है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षिय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि आवंटन की उद्योषणा जारी नहीं की गई है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है।

प्रार्थी का यह कथन की उसका कब्जा उक्त भूमि पर सम्वत् 2028 से 2030 तक व सम्वत 2034 से 2037 तक दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार कब्जा साबित होता है। सम्वत् 2028–2030 व 2034–2037 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां अनुसार ग्राम कांकडदा के ख.नं. 331/8 पर प्रार्थी के पिता भंवरसिंह राजपूत का कब्जा होना पाया गया है, इस प्रकार आवंटन के समय उक्त भूमि खाली नहीं थी आवंटन के समय पटवारी हल्का कि रिपोर्ट में भी इसका हवाला नहीं दिया गया। प्रार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कथन व विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। कि उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता का कब्जा एलोटमेन्ट के पूर्व से था व कब्जा काश्त थे और वर्तमान में प्रार्थी कब्जा काश्त है। यह विवादित भूमि अप्रार्थी के पिता को दिनांक 20.06.1981 को रकबा 05 बीघा आवंटित हो चुकी थी। अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। इसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी से होती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में आवंटन शुदा भूमि खसरा नं. 331/8 रकबा 5 बीघा भुमि पर छोटेलाल पुत्र कल्याण जाति कुम्हार द्वारा कभी भी काश्त नहीं की है। किन्तु आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी के पिता भंवरसिंह काश्त करता था जब भंवरसिंह की मृत्यु हो जाने से उसका पुत्र तंवरसिंह ही काश्त करता चला आ रहा है।

इस प्रकार विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। कार्य आवंटन प्रर्ति में विरोधाभाष अप्राथीगण ने बाबजूद सूचना इस पर अपना कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार दिनांक 20.06.1981 को ग्राम कांकडदा की ख.नं. 331/8 रकबा 05 बीघा भूमि का आवंटन करने से पूर्व आवंटन कमेटी के समक्ष उक्त भूमि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने से व ऐलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकडदा की आराजी ख.नं. 331/8 रकबा 5 बीघा छोटेलाल पुत्र कल्याण जाति कुम्हारनिवासी कांकडदा का आवंटन निरस्त किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद (बारां)